शबे बरात की हक़ीक़त

मैलाना फ़ज़्लुर्रहमान आज़मी

इस्लाम में कुछ महीनों, कुछ दिनों और कुछ रातों को आम महीनों, दिनों और रातों के मुक़ाबले में अहम, क़ीमती और बाइसे बरकत क़रार दिया गया है। शबे बरात भी उन्हीं मुबारक और क़ीमती रातों में शामिल है, यह शाबान की पन्द्रहवीं शब है।

इस रात की फ़ज़ीलत बहुत सी हदीसों में बयान फरमाई गई है जिनमें कुछ हदीसें ज़ईफ़ हैं, कुछ हज़रात इसी बात को लेकर शबे बरात में इबादत वग़ैरह के मुख़ालिफ़ हो गये है लेकिन सही बात यह है कि अगर चन्द रिवायतें ज़ईफ़ हैं तो दूसरी मुस्तनद और मोतबर हदीसें भी उसके सुबूत में मौजूद हैं। फिर ज़ईफ़ हदीस भी जब कई-कई सनदों से बयान हो तो हदीस के उसूल से वह भी मोतबर हो जाती है।

इस किताब में दोनों तरह की राय का मुवाज़ना करके सही बात पेश कर दी गई है और शबे बरात के मुताल्लिक़ हदीसे नब्वी का असल पैग़ाम आम मुसलमानों के सामने पेश कर दिया है।

शबे बरात की हक़ीक़त

शबे बरात की हक़ीक़त

मैलाना फ़ज़्लुर्रहमान आज़मी

Shabe Baraat Ki Haqiqat

प्रकाशन : 2012

ISBN: 81-7101-512-3

TP-151-12

Published by Mohammad Yunus for

IDARA IMPEX

D-80, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar
New Delhi-110 025 (India)
Tel.: 2695 6832 Fax: +91-11-6617 3545
Email: **sales@idaraimpex.com**
Visit us at: **www.idarastore.com**

Designed & Printed in India

Typesetted at: **DTP Division**
IDARA ISHA'AT-E-DINIYAT
P.O. Box 9795, Jamia Nagar, New Delhi-110025 (India)

विषय-सूची

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शबे बरात की हक़ीक़त

कुछ किताब के बारे में

अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुर्सलीन व अला आलिही व अस्हाबिही व उम्मतिही अजमईन० अम्माबाद

अल्लाह तआला ने अपने बे-इंतिहा फ़ज़्ल व रहमत और बन्दों पर शफ़क़त की वजह से कुछ ख़ास मौक़े ऐसे इनायत फ़रमाए हैं, जिनमें बन्दों को मग़्फ़िरत, रहमत और सवाब हासिल करने का सुनहरा मौक़ा हासिल होता है।

इन मौक़ों में जिस तरह रमज़ान मुबारक और शबे क़द्र है, एक मौक़ा पन्द्रवीं शाबान की रात भी है,जिसमें अल्लाह तआला की तरफ़ से बे शुमार लोगों की मग़्फ़िरत का ज़िक्र रिवायतों में आया है, इसी लिए इस रात को 'लैलतुल बरात' या 'शबे बरात' कहते हैं, यानी जहन्नम और अज़ाब से छुटकारे और ख़लासी के फ़ैसले की रात।

शबे बरात की फ़ज़ीलत में जिन रिवायतों का किताबों में ज़िक्र किया गया है, उनमें अक्सर का ज़ोफ़ (कमज़ोर होना) मालूम है, मगर चूंकि वे कई हैं और कुछ का ज़ोफ़ (कमज़ोर होना) हल्का है, इसलिए उनके मज्मूए से उस रात की फ़ज़ीलत साबित होती है। यही बात तहक़ीक़ करने वाले उलेमा ने बयान फ़रमाई है, जैसा कि इस किताब के पढ़ने से यह बात ज़ाहिर होगी।

लेकिन बहुत ग़लत सी बातें भी शबे बरात के मुताल्लिक़ किताबों में लिखी गई हैं और लोगों में मशहूर हैं, तहक़ीक करने वाले उलेमा ने उनकी तर्दीद (खंडन) की है। इस किताब का मक़्सद सही और ग़लत में फ़र्क़ पैदा करना है। असल चीज़ शरीअत में किताब व सुन्नत और सहाबा किराम की ज़िंदगी है, जो चीज़ यहां से मिलती हो उसको मज़बूती से पकड़ लेना चाहिए और जो बातें

बे-असल हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, तफ़्सीर व हदीस दोनों फ़नों में तहक़ीक़ करने वालों की तहक़ीक़ें मौजूद हैं, उनसे खुद फ़ायदा उठाना चाहिए और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। इसी मक़्सद के लिए यह किताब छापी जा रही है। अल्लाह तआला तमाम मुसलमानों को इससे फ़ायदा पहुंचाए और लेखक के लिए इसे निजात का ज़रिया बनाए। आमीन

—फ़ज़्लुर्रहमान आज़मी
मदरसा अरबीया इस्लामिया आज़ादोल
26 जुमादस्सानी 1413 हि०
21 दिसम्बर 1992 ई०, दिन, पीर (सोमवार)

शबे बरात की हक़ीक़त

1. हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह तआला पन्द्रहवीं शाबान की रात में यानी चौदहवीं और पन्द्रहवीं शाबान की दर्मियानी रात में अपनी तमाम मख़्लूक़ की तरफ़ मुतवज्जह होते हैं, मुश्रिक और दुश्मनी रखने वाले के सिवा मख़्लूक़ की मग़्फ़िरत फ़रमाते हैं। (तबरानी ने औसत में और इब्ने हब्बान ने अपनी सहीह में और बैहक़ी ने इसको रिवायत किया।

—अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब, भाग 2, पृ० 18, भाग 3, पृ० 459

2. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह तआला पन्द्रहवीं शाबान की रात में अपनी मख़्लूक की तरफ़ तवज्जोह फ़रमाते हैं और अपने बन्दों की मग़्फ़िरत फ़रमाते हैं, सिवाए दो के, (एक) दुश्मनी रखने वाला, (दूसरा) किसी (मोहतरम नफ़्स) को क़त्ल करने वाला। इसको इमाम अहमद ने नरम सनद के साथ रिवायत किया।

—अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब, भाग 3, पृ० 460

3. मकहूल रह० ने कसीर बिन मुर्रा से नक़ल किया, उन्होंने आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से, आपने फ़रमाया, पन्द्रहवीं शाबान की रात में अल्लाह तआला ज़मीन वालों की मग़्फ़िरत फ़रमाते हैं। मुश्रिक और दुश्मनी रखने वाले की मग़्फ़िरत नहीं फ़रमाते। बैहक़ी ने इसको रिवायत किया और फ़रमाया कि उम्दा मुर्सल[1] है।

—अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब, भाग 3, पृ० 461

4. मकहूल रह० ने अबू सालबा रज़ियल्लाह अन्हु से नक़ल किया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह तआला पन्द्रहवीं शाबान की रात में अपने बन्दों की तरफ़ तवज्जोह फ़रमाते हैं, फिर ईमान वालों की मग़्फ़िरत फ़रमाते हैं और काफ़िरों को छोड़ देते हैं, (यानी उनकी सज़ा को मुअख़्ख़र करते हैं) और दुश्मनी करने वालों को भी छोड़ देते हैं, यहां तक कि वे

---

1. मुर्सल ऐसी रिवायत को कहते हैं जिसमें ताबई आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ौल या फ़ेल (कथन-कर्म) को नक़ल करें। ऐसी रिवायत इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के यहां क़ुबूल होती है। इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद के यहां भी, जबकि ताईद किसी दूसरी और रिवायत से होती हो और यहां ऐसा ही है।

दुश्मनी को छोड़ दें, इसको तबरानी और बैहक़ी ने रिवायत किया। बैहक़ी ने फ़रमाया, यह भी मकहूल और अबू सालबा के दर्मियान उम्दा मुर्सल (यानी मुन्क़तअ़) है।

—अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब, भाग 3, पृ० 461

5. अला बिन हारिस रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत आइशा रज़ि० ने फ़रमाया, एक रात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उठे, नमाज़ पढ़ी और इतना लम्बा सज्दा किया कि मैंने समझा, आपका इंतिक़ाल हो गया। यह देख कर मैं उठी और आपके अंगूठे को हरकत दी, तो आप हिले और वापस हुए। जब आप सज्दे से उठे और नमाज़ से फ़ारिग़ हुए, तो फ़रमाया, ऐ आइशा! या फ़रमाया ऐ हुमैरा! क्या तुमने यह समझा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तुम्हारे साथ बेवफ़ाई की, ग़द्दारी की। मैंने कहा, नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! ख़ुदा की क़सम! लेकिन मैंने यह समझा कि आपका इंतिक़ाल हो गया, इसलिए कि आपने सज्दा लम्बा किया। आपने फ़रमाया, जानती हो, यह कौन सी रात है? मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। फ़रमाया, यह पन्द्रहवीं शाबान की रात है। अल्लाह तआला इस रात में अपने बन्दों की तरफ़ तवज्जोह फ़रमाते हैं और मग्फ़िरत तलब करने वालों की मग्फ़िरत फ़रमाते हैं और रहम तलब करने वालों पर रहम फ़रमाते हैं और दुश्मनी रखने वालों को मुअख़्ख़र कर देते हैं उनकी हालत पर। इसको भी बैहक़ी ने रिवायत किया और फ़रमाया कि यह भी जैयद मुर्सल है और शायद अला ने मकहूल से सुना हो।

—अत्तर्ग़ीब वत्तर्ग़ीब, भाग 3, पृ० 462

इसी रिवायत में यह भी है कि मैंने सुना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सज्दे में यह दुआ पढ़ रहे थे—

अऊज़ुबिअफ़्वि-क मिन अिक़ाबि-क व अऊज़ुबिरिज़ा-क मिन स-ख़्-ति-क व अऊज़ु बि-क मिन-क ला उहसी सनाअन अलै-क अन-त-कमा अस्नै-त अला नफ़्सि-क

(ऐ अल्लाह! मैं तेरी सज़ा से, तेरी अफ़्व की पनाह में आता हूं और तेरी नाराज़ी से तेरी रिज़ा की पनाह में आता हूं, तेरे (अज़ाब) से तेरी पनाह में आता हूं, मैं तेरी पूरी तारीफ़ नहीं कर सकता, तू वैसा ही है जैसी तूने खुद अपनी तारीफ़ की।)

—अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब, भाग 2, पृ० 119

6. हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे यहां तश्रीफ़ लाए, अपने दोनों कपड़े उतारे (और लेटे) फिर

अभी पूरा आराम भी नहीं फ़रमाया कि दोनों कपड़े पहन कर (चल दिए), मुझे बड़ी ग़ैरत आई। मैंने समझा कि अपनी दूसरी किसी बीवी के यहां तशरीफ़ ले गए। मैं भी पीछे-पीछे चली, आपको बक़ीअ़ (मदीना के क़ब्रस्तान) में पाया, आप मोमिन मर्दों, औरतों और शहीदों के लिए मग़्फ़िरत कर रहे थे। मैंने अपने जी में कहा, मेरे मां-बाप आप पर क़ुर्बान हों, आप अपने रब की हाजत में हैं और मैं अपनी ज़रूरत में हूं। मैं वापस कमरे में आई, मेरी सांस चढ़ रही थी। आप भी मेरे बाद तशरीफ़ लाए और पूछा, ऐ आइशा! यह तेरी सांस क्यों चढ़ रही है? मैंने अपना वाक़िया बयान किया, आपने फ़रमाया, क्या तुम डर गई थीं कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर ज़ुल्म करेंगे? मेरे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फ़रमाया, यह पन्द्रहवें शाबान की रात है, इसमें अल्लाह तआला की तरफ़ से क़बीला बनू कल्ब की बकरियों के बाल बराबर लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करते हैं, लेकिन मुश्रिक दुश्मनी रखने वाले, रिश्ते को काटने वाले, इज़ार को टख़ने से नीचे लटकाने वाले, मां-बाप की नाफ़रमानी करने वाले, शराब की आदत वाले की तरफ़ नहीं देखते, फिर आपने अपने दोनों कपड़े उतारे और मुझसे फ़रमाया, मुझको इजाज़त देती हो कि मैं इस रात में क़ियाम करूं। मैंने कहा, मां-बाप आप पर क़ुरबान हों। फिर आप खड़े हुए (नमाज़ पढ़ने लगे) रात में लम्बा सज्दा किया, यहां तक कि मैंने गुमान किया कि आप की रूह क़ब्ज़ हो गई। मैं उठी और आपको तलाश करने लगी (इसलिए कि कमरे में चिराग़ न रहा होगा) मेरा हाथ आपके क़दमों के नीचे के हिस्से पर पड़ा, तो आपने हरकत की, इससे मुझको ख़ुशी हुई। मैंने सुना आप सज्दे में कह रहे थे (वही दुआ जो हदीस नं० 5 में गुज़री) सुबह को मैंने उसका तज़्किरा किया, तो फ़रमाया, इस दुआ को सीखो और सिखाओ, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझको ये कलिमे सिखाए हैं और मुझसे कहा है कि सज्दे में मैं उनको दोहराऊं। इसको बैहक़ी ने रिवायत किया। —अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब, भाग 3, पृ० 460

यह रिवायत भी ज़ईफ़ है, इसलिए कि हाफ़िज़ मुन्ज़री ने इस रिवायतको 'रुवि-य' (रिवायत की गई) से ज़िक्र किया और आख़िर में कोई कलाम नहीं किया और दीबाचे में लिखा है कि ज़ईफ़ (कमज़ोर) अस्नाद (सनदों) की दो पहचान हैं—

1. एक लफ़्ज़ 'रुवि-य' (यानी रिवायत की गई) से उसको शुरू करना,
2. दूसरे आख़िर में कलाम न करना (दीबाचा तर्ग़ीब व तर्हीब, पृ० 37)

दुर्रे मंसूर में लिखा है कि बैहक़ी ने इसको ज़ईफ़ कहा है (दुर्रे मंसूर, भाग 1, पृ० 27) शायद यही रिवायत तिर्मिज़ी में थोड़े में इस तरह रिवायत की गई है।

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि मैंने एक रात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को (सो कर उठने के बाद) नहीं पाया। मैं बाहर निकली तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बक़ीअ में थे। आपने फ़रमाया, क्या तुम डर रही थीं कि अल्लाह तआला और उसके रसूल तुम पर ज़ुल्म करेंगे (यानी तुम्हारी बारी के दिन दूसरी बीवी के पास चले जाएंगे।) मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मैंने समझा कि आप दूसरी बीवी के यहां तशरीफ़ ले गए। आपने फ़रमाया, अल्लाह तआला आधे शाबान की रात में क़रीबी आसमान की तरफ़ नुज़ूल फ़रमाते हैं। (यह उतरना अल्लाह तआला की शान के मुताबिक़ होता है) और बनू कल्ब क़बीला की बकरियों के बालों की तायदाद से भी ज़्यादा मग़्फ़िरत फ़रमाते हैं। —तिर्मिज़ी, भाग 1, पृ० 156 मय अल उर्फ़ुश शज़ी, कराची एडीशन)

इमाम तिर्मिज़ी ने फ़रमाया कि इमाम बुख़ारी ने इस हदीस को ज़ईफ़ बताया।[1] (वही) यह रिवायत इसी सनद से इब्ने माजा में भी है। (पृ० 99)

रज़ीन ने भी इसको रिवायत किया है, उस में यह है कि बनू कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा ऐसे लोगों की मग़्फ़िरत फ़रमाता है, जो जहन्नम के मुस्तहिक़ थे।

—मिश्कात, पृ० 115

7. हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह तआला पन्द्रहवीं शाबान की रात में तवज्जोह फ़रमाते हैं और मुश्रिक और कीना रखने वालों के सिवा तमाम मख़्लूक़ की मग़्फ़िरत फ़रमाते हैं। (इब्ने माजा, पृ० 99) यह हदीस भी ज़ईफ़ है।[2]

8. हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया—

---

1. इसकी वजह यह है कि इसमें एक रिवायत करने वाले हज्जाज बिन अरतात हैं जो ज़ईफ़ हैं और उन्होंने यह्या बिन अबी कसीर से इस हदीस को सुना नहीं है, इसलिए मुन्क़तअ भी है। इमाम बुख़ारी रह० ने फ़रमाया कि यह्या बिन अबी कसीर ने भी उर्वः बिन ज़ुबैर से नहीं सुना।

—तिर्मिज़ी, पृ० 156

2. इसकी सनद में इब्ने लहीआ ज़ईफ़ रावी हैं। (तोहफ़तुल अहवज़ी, शरह तिर्मिज़ी, भाग 2, पृ० 53) साथ ही ज़ह्हाक का हाल मालूम नहीं और उन्होंने अबू मूसा अशअरी से सुना नहीं है।

फ़ैज़ुल क़दीर, भाग 2, पृ० 263

जब पन्द्रहवीं शाबान की रात हो तो उस रात में क़ियाम करो और उसके दिन में रोज़ा रखो, इसलिए कि अल्लाह तआला उस रात में सूरज डूबने के वक़्त से ही क़रीबी आसमान पर नुज़ूल फ़रमाते हैं, (अपनी शान के मुताबिक़) और फ़रमाते हैं, कोई मग़्फ़िरत का तलबगार है कि मैं उसकी मग़्फ़िरत करूं और कोई रोज़ी का तलबगार है कि मैं उसको रोज़ी दूं, कोई मुसीबत में मुब्तला है कि मै उसको आफ़ियत दूं, इसी तरह और भी एलान फ़रमाते हैं और यह सुबह तक जारी रहता है। (इब्ने माजा, पृ० 99) इसको बैहक़ी ने भी 'शोबुल ईमान' में रिवायत किया है। —दुर्रे मंसूर, सुयूती, भाग 6, पृ० 26

यह रिवायत बहुत ज़ईफ़ है।[1] बल्कि कुछ लोगों ने मौज़ूअ (गढ़ी हुई) कहा है।

9. हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया—

अल्लाह तआला पन्द्रहवीं शाबान की रात में क़रीबी आसमान की तरफ़ नुज़ूल फ़रमाते हैं, फिर हर चीज़ की मग़्फ़िरत फ़रमाते हैं, सिवाए मुश्रिक आदमी के और जिस के दिल में दुश्मनी है।

—दुर्रे मंसूर : सुयूती, भाग 6, पृ० 26 व मीज़ान, भाग 2, पृ० 659

हाफ़िज़ मुंज़री ने फ़रमाया कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की यह हदीस बज़्ज़ार और बैहक़ी ने अपनी सनद के साथ रिवायत की है, जिसमें कई हरज नहीं, लेकिन इसमें कलाम है। —अत्तर्ग़ीब बत्तर्हीब, भाग 2, पृ० 459

10. उस्मान बिन अबुल आस से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, आधे शाबान की रात में अल्लाह तआला क़रीबी आसमान की तरफ़ नुज़ूल फ़रमाते हैं और एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कि कोई

---

1. इसकी सनद में एक रावी (रिवायत करने वाले) इब्ने अबी सबुरा हैं, इनके नाम में इख़्तिलाफ़ है। इन पर हदीस गढ़ने का इलज़ाम लगाया गया है

(तक़रीब : हाफ़िज़ इब्ने हजर, पृ० 33)

इमाम अहमद ने फ़रमाया, यह हदीस वज़ा करता है (गढ़ता है)। नसई ने कहा मतरूक है (यानी छोड़ने लायक़ है। इब्ने मुईन ने कहा, इसकी हदीस कुछ नहीं है। इमाम बुख़ारी वग़ैरह ने इसकी तज़ईफ़ की है (कमज़ोर बताया है) (मीज़ानुल एतदाल : ज़हबी, भाग 4, पृ० 503) इसलिए यह हदीस बहुत ज़ईफ़ है। फ़ज़ाइले आमाल में भी ऐसी हदीस पर एतमाद नहीं किया जाता जैसा कि आगे मालूम होगा, इसलिए इस रोज़े को सुन्नत समझ कर नहीं रख सकते, नफ़्ल की नीयत से रख सकते हैं। वल्लाहु आलम

मग़्फ़िरत का तालिब है कि मैं उसकी मग़्फ़िरत करूं, कोई मांगने वाला है कि मैं उसको दूं। चुनांचे हर मांगने वाले को देता है, सिवाए उस ज़िना करने वाली औरत और सिवाए मुश्रिक के, इसको बैहक़ी ने रिवायत किया।

11. हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि निस्फ़ (आधे) शाबान की रात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे यहां थे, मेरे यहां रहने की बारी थी। रात के दर्मियान मैंने आपको नहीं पाया, तो मुझे ग़ैरत आई, जो औरतों को लाहिक़ हुआ करती है। मैंने अपनी चादर लपेट कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आपकी बीवियों के कमरों में तलाश करना शुरू किया, लेकिन कहीं नहीं मिले। मैं अपने कमरे में वापस आई तो आपको देखा सज्दे में पड़े हुए हैं और सज्दे में यह फ़रमा रहे हैं—

سَجَدَلَكَ خَيَالِيْ وَسَوَادِيْ وَاٰمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ فَهٰذِهٖ يَدِيْ وَمَا جَنَيْتُ بِهَا عَلٰى نَفْسِيْ يَا عَظِيْمُ يُرْجٰى لِكُلِّ عَظِيْمٍ اِغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ.

फिर सर उठाया और दोबारा सज्दे में गए और फ़रमाया—

اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ اَقُوْلُ كَمَا قَالَ اَخِيْ دَاوٗدُ اَعْفِرُ وَجْهِيْ فِي التُّرَابِ لِسَيِّدِيْ وَحُقَّ لَهٗ اَنْ يُسْجَدَ.

फिर सर उठाया और फ़रमाया—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ قَلْبًا تَقِيًّا مِنَ الشَّرِّ نَقِيًّا لَا جَافِيًا وَّلَا شَقِيًّا

फिर नमाज़ से फ़ारिग़ होकर मेरे साथ चादर में सो गए। मेरी सांस चढ़ रही थी, तो फ़रमाया, ऐ हुमैरा! यह कैसी सांस है? मैंने बताया, तो अपने हाथों से मेरे घुटनों को सहलाया और फ़रमाया इन टांगों ने इस रात बहुत ज़हमत उठाई, यह रात आधे शाबान की रात है। इसमें अल्लाह क़रीबी आसमान की तरफ़ नुज़ूल फ़रमाते हैं और अपने बन्दों की मग़्फ़िरत फ़रमाते हैं, मुश्रिक और दुश्मनी रखने वालों को छोड़ कर, इसको बैहक़ी ने रिवायत किया। (दुर्रे मंसूर, भाग 4, पृ० 27)

फ़ायदा (1) शबे बरात की फ़ज़ीलत में जितनी रिवायतें आई हैं, उनमें कोई भी ऐसी नहीं जो कलाम से ख़ाली हो, मौलाना युसूफ़ बिन्नौरी रह० फ़रमाते हैं—

'वलम अक़िफ़ अला हदीसिम मुस्नदिन मर्फ़ूइन सहीहिन फ़ी फ़ज़्लिहा'

—मआरिफ़ुस्सुनन, भाग 5, पृ० 419

(इसकी फ़ज़ीलत कोई भी मुस्तनद, मफ़ूर्अ, सहीह हदीस में वाकिफ़ नहीं)

इब्ने वह्या मुहद्दिस ने भी फ़रमाया कि आधे शाबान की रात के बारे में कोई चीज़ सही नहीं है और न सच्चे रिवायत करने वालों ने इसमें किसी ख़ास नमाज़ को अदा किया है। —फ़ैज़ुल क़दीर शरह जामिउस्सग़ीर, भाग 2, पृ० 317

फिर भी चूंकि ज़ईफ़ (कमज़ोर) रिवायतें कई हैं और कई सहाबा से रिवायत की गई हैं, कुछ की सनद में ज़्यादा कलाम नहीं, कुछ को इब्ने हब्बान ने अपने सहीह में जगह दी। कुछ की सनद को मुंज़री ने 'ला बा-स बिही' (इसमें कोई हरज नहीं) फ़रमाया, इस लिए मुहद्दिसों के उसूल के मुताबिक़ हदीसों के मज्मूए से शबे बरात की फ़ज़ीलत साबित मानी जाएगी। यही बात आम तौर पर हदीस के माहिरों और फ़क़ीहों में मशहूर है और यही हक़ है।

अल्लामा इब्ने तैमिया रह० जो आम तौर से ऐसी चीज़ों का इंकार कर देते हैं, वे भी शबे बरात की फ़ज़ीलत को तस्लीम करते हैं। फ़रमाते हैं, आधे शाबान की रात की फ़ज़ीलत में इतनी हदीसें और आसार रिवायत किए गए हैं, फ़रमाते हैं, जिनसे मालूम होता है कि उसको फ़ज़ीलत हासिल है और कुछ पुराने लोगों ने इस रात को नमाज़ के लिए ख़ास किया है। —फ़ैज़ुल क़दीर, भाग 2 पृ० 317

मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रह० शरह तिर्मिज़ी में फ़रमाते हैं, ये हदीसें अपने मज्मूए के साथ उन लोगों के ख़िलाफ़ हुज्जत हैं, जो यह कहते हैं कि आधे शाबान की रात की फ़ज़्लीत में कुछ साबित नहीं।

—तोहफ़तुल अहवज़ी, भाग 1, पृ० 53

इसलिए कुछ तशद्दुद वालों के क़ौल से धोखे में नहीं आना चाहिए और इस रात से फ़ायदा उठाना चाहिए। वल्लाहु वलीयुत्तौफ़ीक़ व हु-व ने-मलवकील०

फ़ायदा (2) इन हदीसों से मालूम हुआ कि जो फ़ज़ीलत इस रात की है वह यह है कि शुरू रात ही से अल्लाह तआला बन्दों की तरफ़ तवज्जोह फ़रमाते हैं और तौबा करने वालों, इस्तग़फ़ार करने वालों की मग़्फ़िरत फ़रमाते हैं, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इस मौक़े को ग़नीमत समझे, अल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह होकर अपने गुनाहों पर शर्मिन्दगी के आंसू बहाए। गुनाहों से बचे रहने का अल्लाह के दरबार में अह्द करे, अल्लाह तआला से अपने गुनाहों की

मग़्फ़िरत का तालिब बने, अपने लिए भी, तमाम मुसलमानों के लिए भी और मुर्दों और ज़िंदों के लिए भी मग़्फ़िरत की दुआ करे और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तआला ज़रूर मग़्फ़िरत फ़रमा देंगे और रहम फ़रमाएंगे।

बदनसीब लोग

हदीसों से मालूम हुआ कि इस मुबारक रात में भी कुछ अल्लाह के बन्दे अल्लाह तआला की मग़्फ़िरत से महरूम रहते हैं, वे हैं मुश्रिक, दुश्मनी रखने वाले, शराब पीने वाले, माँ-बाप की नाफ़रमानी करने वाले, लुंगी-पाजामा वग़ैरह टख़्ने से नीचे लटकाने वाले, ज़िना करने वाले, मोहतरम नफ़्स को क़त्ल करने वाले, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाले, इसलिए हर मुसलमान ख़्याल करे कि इन गुनाहों में से कोई भी गुनाह उसके अन्दर हो, तो ख़ासतौर से उस पर तौबा करे और मग़्फ़िरत की दुआ करे, वरना यह मुबारक रात, जिसमें अल्लाह ताआला की तरफ़ से रहमत और मग़्फ़िरत की बारिश होती है, आकर चली जाएगी और इस से महरूम वह रहेगा। अगर किसी का हक़ दबाया है और सताया है, तक्लीफ़ दी है, तो माफ़ी भी मांगे और उसका हक़ अदा करे, इसलिए कि बन्दों के हक़्क़ों का ज़ाबता यह है कि बन्दों के माफ़ किए बग़ैर अल्लाह तआला भी माफ़ नहीं फ़रमाते, जैसा कि हदीसों में इसको बयान किया गया है।

अल्लाहुम-मग़्फ़िर लना व लिल मोमिनी-न वल मोमिनाति वल मुस्लिमी-न वल मुस्लिमाति अल-अह्याइ मिन्हुम वल अमवात० (ऐ अल्लाह! हमें माफ़ फ़रमा दे और तमाम ईमान वाले मर्दों और औरतों और तमाम मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को, ज़िंदा हों या मुर्दा, उनको भी।

शबे बरात की ख़ुसूसियत

शबे बरात की ख़ुसूसियत यह है कि शुरू रात ही से मग़्फ़िरत व रहमत की बारिश होने लगती है और सुबह तक रहती है और बेशुमार लोगों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, वरना अल्लाह तआला का क़रीबी आसमान की तरफ़ नाज़िल होना हर रात होता है, लेकिन सिर्फ़ आख़िरी तिहाई में, मगर हर रात में इस ज़्यादती से मग़्फ़िरत का एलान नहीं। (यह बात हाफ़िज़ ज़ैनुद्दीन इराक़ी ने कही)

—फ़ैज़ुल क़दीर, भाग 2, पृ० 317

हां, मगर याद रहे कि जब शबे बरात की रिवायतें ज़ईफ़ (सनद के एतबार

से कमज़ोर) हैं और हर रात आख़िरी तिहाई हिस्से में उतरने की रिवायत बिल्कुल सही है, तो यों समझना चाहिए कि अल्लाह तआला ने क़द्र दानों के लिए हर रात मग़्फ़िरत व रहमत हासिल करने का मौक़ा फ़रमाया है और अल्लाह तआला की बेपनाह रहमत का तक़ाज़ा भी यही था कि हर दिन यह मौक़े गुनाहगारों को मिला करें।

इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर रात उठकर इबादत फ़रमाते थे और लम्बी-लम्बी रक्अतें और रुकूअ़ और सज्दा वाली नमाज़ पढ़ते थे। उम्मत को आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस सुन्नत को हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए। कुछ हदीसें देखिए—

हर रात आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इबादत

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, हमारा रब तबारक व तआला हर रात क़रीबी आसमान की तरफ़ नुज़ूल फ़रमाता है, जबकि रात का आख़िरी तिहाई हिस्सा बाक़ी रह जाता है, फ़रमाता है कौन है जो मुझसे दुआ करता है कि मैं उसकी दुआ क़ुबूल करूं और कौन है जो मुझसे मांगता हैं कि मैं उसको दूं, कौन है जो मुझसे मग़्फ़िरत का तालिब है कि मैं उसकी मग़्फ़िरत करूं।

—बुख़ारी, जिल्द 1, पृ० 153, मुस्लिम, जिल्द 1, पृ० 258

मुस्लिम की एक रिवायत में है, फिर दोनों हाथ फैलाता है और फ़रमाता है कि कौन है जो क़र्ज़ दे ऐसी ज़ात को जो न मुहताज है, न ज़ालिम। सुबह तक यह सिलसिला जारी रहता है। —मिश्कात, पृ० 105

अम्र बिन उत्बा फ़रमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह बन्दों से ज़्यादा क़रीब रात के अख़िरी हिस्से में होता है। तुमसे अगर हो सके तो उस वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करो। (तिर्मिज़ी ने इसको रिवायत किया है और कहा, यह हदीस हसन, सहीह, ग़रीब है।) —मिश्कात, पृ० 109

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शुरू रात में सो जाते और आख़िर रात को ज़िंदा रखते (यानी इबादत करते)। हदीस, मिश्कात पृ० 109

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान और ग़ैर-रमज़ान में ग्यारह रक्अतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे।

चार पढ़ते थे, मत पूछो, कितनी अच्छी और लम्बी, फिर चार पढ़ते थे, मत पूछो, कितनी अच्छी और लम्बी (यानी बहुत लम्बी और अच्छी) फिर तीन रक्अत (वित्र) पढ़ते। (बुख़ारी शरीफ़, भाग 1, पृ० 154)

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसी नमाज़ पढ़ते कि आपके दोनों क़दम फूल जाते, कभी फ़रमाया कि फट जाते। कहा जाता कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आपके तो अगले-पिछले सब गुनाह माफ़ हैं, तो फ़रमाते, क्या मैं शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूं? —बुख़ारी शरीफ़, भाग 1, पृ० 152, भाग 2, पृ० 716

तहज्जुद की नमाज़ में यह दुआ भी साबित है जो हदीस न० 5 में गुज़री यानी 'अल्लाहुम-म इन्नी अऊज़ु बि-रज़ा-क - (आख़िर तक)
—मुस्लिम, भाग 1, पृ० 192

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रात के आख़िरी हिस्से में अपनी बीवी को भी उठाते थे, ताकि वे नमाज़ पढ़ें, फिर वह आयत तिलावत फ़रमाते, जिसका तर्जुमा यह है—

'अपने घर वालों को नमाज़ का हुक्म दो और ख़ुद भी उस पर जमे रहो। हम तुमसे रोज़ी नहीं मांगते, हम तुमको रोज़ी देंगे और अच्छा अंजाम तक़्वा का है।'

इस तरह की बहुत सी रिवायतें हैं, जिनसे मालूम होता है कि हमेशा आप रात को नमाज़ पढ़ने का एहतिमाम फ़रमाते। सहाबा रज़ि० को भी आप इस की तर्ग़ीब फ़रमाते। सहाबा रज़ि० इसका एहतिमाम करते। क़ुरआन पाक में भी इसका तज़्करा है।

शबे बरात की कमज़ोर हदीसों की वजह से अगर हम इबादत का एहतमाम करते हैं और करना चाहिए तो तमाम रातों में भी उसका ज़रूर एहतिराम करना चाहिए, इसलिए कि हर रात के आख़िरी हिस्से में अल्लाह तआला का नुज़ूल होता है और दुआ के लिए बुलाया जाता है। आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम इसका एहतिमाम करते थे। क़ुरआन व हदीस में इसकी तर्ग़ीब मौजूद है, कोई इबादत सिर्फ़ रिवाजी तौर पर नहीं करनी चाहिए।

शबे बरात में क़ब्रस्तान जाना

ज़िक्र की गई रिवायतों में से एक दो रिवायत में रात को उठ कर हज़रत

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का क़ब्रस्तान जाना भी ज़िक्र किया गया है। यह बात भी शबे बरात की खुसूसियतों में से नहीं, बल्कि दूसरी सहीह रिवायतों से भी आपका रात के आख़िरी हिस्से में क़ब्रस्तान जाना साबित है।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि जब भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मेरे यहां रात को रहने की बारी होती, आख़िर रात में बक़ीअ (मदीना के क़ब्रस्तान) जाते और यह फ़रमाते–

'अस्सलामु अलैकुम दा-र क़ौमिम मोमिनीन व अताकुम मा तूअदून ग़दममुअज्जलून व इन्ना इन शाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून अल्लाहुम-मग़्फ़िर लि अह्ले बक़ीअिन अल-ग़रक़द०'
—सहीह मुस्लिम, भाग 1, पृ० 313

यानी ऐ मोमिनों के क़ब्रस्तान वालो! तुम पर सलामती हो, तुम्हारी मौत आ गई, जिसका तुमसे वायदा किया जा रहा था। कल (क़ियामत) की तरफ़ तुम जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ इनशाअल्लाह मिल जाएंगे। ऐ अल्लाह! बक़ीअ वालों की मग़्फ़िरत फ़रमा।

इमाम नववी लिखते हैं कि इससे मालूम हुआ कि क़ब्रों की ज़ियारत और क़ब्र वालों को सलाम करना और उनके लिए मग़्फ़िरत की दुआ करना मुस्तहब है।
—वही

सहीह मुस्लिम ही की एक रिवायत में हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसी तरह की तफ़्सील ज़िक्र करती हैं, जैसी शबे बरात के बारे में गुज़री और मालूम है कि मुस्लिम शरीफ़ की सब रिवायतें सहीह मानी जाती हैं।

फ़रमाती हैं कि जब मेरी बारी की रात आई, जिसमें आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे पास थे, आप तशरीफ़ लाए। अपनी चादर रखी, चप्पल निकाल कर अपने पांव के पास रख लिए, अपनी लुंगी का किनारा बिस्तर पर बिछाया, फिर लेट गए। इतनी देर लेटे रहे कि समझा कि मैं सो गई, फिर अपनी चादर आहिस्ता से ली और आहिस्ता से चप्पल पहनी और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, फिर आहिस्ता से उसको बन्द किया (और चल दिए)। मैंने भी अपने इज़ार और कुरते को पहना, ओढ़नी ओढ़ी और आपके पीछे निकली। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बक़ीअ गए, खड़े रहे और देर तक खड़े रहे, फिर अपने हाथों को तीन बार उठाया, फिर वापस हुए, मैं भी वापस हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तेज़ चले, मैं भी तेज़ चली। आप और तेज़ हुए, मैं भी और तेज़ हुई। मैं हज़रत से पहले अन्दर आ गई, जैसे ही मैं लेटी, आप

आ गए, पूछा, ऐ आइशा! क्यों तेरा सांस तेज़ चल रहा है और पेट ऊंचा हो रहा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं। आपने फ़रमाया, बताओ, वरना अल्लाह तआला मुझे बताएंगे। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मेरे मां-बाप आप पर क़ुरबान हों, फिर मैंने सारा वाक़िया सुनाया। आपने फ़रमाया, तुम ही वह आदमी थीं जो आगे नज़र आ रहा था। मैंने कहा, जी। फिर आपने मेरे सीने में एक घूंसा मारा, जिस की चोट मुझे महसूस हुई। फिर फ़रमाया, क्या तूने यह समझा कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर ज़ुल्म करते हैं।

हज़रत आइशा रज़ि० ने फ़रमाया, लोग किसी बात को जितना ही छिपाएं, अल्लाह तआला आपको बता ही देते हैं। 'हां' आपने फ़रमाया, 'जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, तुम से छुपा कर मुझे पुकारा। मैंने तुमसे छुपा कर उनको जवाब दिया और वह उस वक़्त अन्दर नहीं आते, जब तुम अपने कपड़े उतार देती हो। मैंने समझा, तुम सो गई हो, इसलिए उठाना पसन्द नहीं किया और ख़्याल किया कि तुमको वहशत होगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके रब आपको हुक्म देते हैं कि बक़ीअ़ वालों के पास जाकर उनके लिए मग़्फ़िरत की दुआ करें। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, वहां जा कर क्या करें? आपने फ़रमाया यह कहो—

'अस्सलामु अला अह्लिद्दयारि मिनल मोमिनी-न वल मुस्लिमी-न व यर्हमुल्लाहुल मुस्तक़्दिमी-न मिन्ना वल मुस्ताख़िरी-न व इन्ना इनशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून०'

(ऐ मोमिन और मुस्लिम घर वालो! तुम पर सलामती हो। अल्लाह तआला हममें से अगले-पिछले लोगों पर रहम फ़रमाए, इनशाअल्लाह हम भी तुमसे जा मिलेंगे।)

—सहीह मुस्लिम, भाग 1, पृ० 314

इस रिवायत में शबे बरात या किसी ख़ास रात का कोई ज़िक्र नहीं और इससे पहली रिवायत से मालूम होता है कि जब भी हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहां हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रहने की बारी होती, तो आप क़ब्रस्तान तश्रीफ़ ले जाते। शबेबरात में क़ब्रस्तान जाने के साथ ही हमको देखना है कि इन सहीह हदीसों पर हम कितना अमल करते हैं।

हज़रत बुरैदा अस्लमी रज़ि० फ़रमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मैं तुमको क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया करता था, (लेकिन अब कहता हूं कि) क़ब्रों की ज़ियारत किया करो। एक हदीस में है कि इससे मौत की याद आती है।

—सहीह मुस्लिम, भाग 1, पृ० 314

इस हदीस में दिन और रात की भी कोई क़ैद नहीं। जब किसी को मौक़ा हो क़ब्रस्तान जाना चाहिए और अपनी मौत को याद करना चाहिए और मरहूमीन के लिए मग़्फ़िरत व रहमत वग़ैरह की दुआ करनी चाहिए।

सिर्फ़ शबेबरात में इस अमल को करके साल भर की फ़ुर्सत नहीं समझ लेना चाहिए। ज़ियारते क़ुबूर के लिए किसी ख़ास दिन की तख़्सीस, जैसे जुमा या जुमारात की किसी हदीस से साबित नहीं। इसलिए ऐसी तख़्सीस का एतक़ाद नहीं रखना चाहिए।

शबे बरात में कोई ख़ास नमाज़ साबित नहीं

अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने फ़रमाया, शबे बरात की फ़ज़ीलत साबित है, लेकिन किताबों में जो मुन्कर और ज़ईफ़ रिवायतें ज़िक्र की गई हैं, उनकी कोई असल नहीं। —अल उर्फ़ुश-शज़ी मय तिर्मिज़ी, पृ० 156

अल्लामा यूसुफ़ बिन्नौरी रह० मआरिफ़ुस्सुनन में फ़रमाते हैं कि ऐसी रिवायतें अबू तालिब मक्की ने क़ूतुल क़ुलूब में ज़िक्र की हैं, उन्हीं की पैरवी इमाम ग़ज़ाली ने की है और इन्हीं दोनों की पैरवी शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी ने ग़नीमतुत्तालिबीन में की है।

हज़रत अली रज़ि० से एक रिवायत ज़िक्र की जाती है, जिसमें सौ रकअतों की एक नमाज़ बताई गई है। इब्ने जौज़ी वग़ैरह ने इसके मौज़ू होने को साफ़ किया है। —मआरिफ़ुस्सुनन, भाग 5, पृ० 419

इमाम ज़हबी, इब्ने अर्राक़ और इमाम सुयूती, मुल्ला अली क़ारी वग़ैरह मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में ऐसी नमाज़ों की सख़्त तर्दीद की है, उसकी तफ़्सील जिसको देखनी हो, मौज़ूआत की किताबें देखे।

ग़नीयतुत्तालिबीन अगरचे शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी की तस्नीफ़ है, लेकिन इसमें बहुत सी बातें बाद में दाख़िल कर दी गई हैं। यह बात इमाम ज़हबी ने कही है। (तक़रीर मौलाना शब्बीर अहमद अस्मानी, प्रकाशक जामिया, डाभेल, पृ० 277) इसलिए यह किताब भी एतबार के क़ाबिल नहीं रही।

हदीसों के बारे में हदीस के माहिरों का क़ौल एतबार के क़ाबिल मालूम होता है, सूफ़िया किराम और वाज़ कहने वालों का नहीं, इसे हदीस के उलेमा ने खोला है।

मुल्ला अली क़ारी रह० ने शबे बरात की नमाज़ों के बारे में एक ख़ास फ़स्ल (Chapler) क़ायम की है और उनको ज़िक्र करके उनका बे-असल होना बयान

किया है और लिखा है कि ये नमाज़ें चौथी सदी के बाद ईजाद हुई हैं और बैतुल मक़्दिस से उनकी शुरूआत हुई है, फिर उनके लिए हदीसें गढ़ ली गई हैं।

—मौज़ूआते कबीर, पृ० 330, तज़्करतुल मौज़ूआत, लेख फ़त्तनी पृ० 45

पन्द्रहवीं शाबान का रोज़ा साबित नहीं

कुछ लोग पन्द्रहवीं शाबान के रोज़े को सुन्नत बताते हैं। उनको इब्ने माजा की हज़रत अली रज़ि० की रिवायत से धोखा हुआ। यह रिवायत एतबार के क़ाबिल नहीं और रोज़े का ज़िक्र इसी रिवायत में है। यह हदीस नं. 8 है। इसके हाशिए (Foot-note) में हमने बता दिया है कि इसमें एक रावी (रिवायत करने वाले) इब्ने अबी सबुरा बहुत ही ज़ईफ़ (अविश्वसनीय) है। उस पर हदीस गढ़ने का इलज़ाम है।—मीज़ानुल एतदाल, लेखक ज़हबी, भाग 4, पृ० 503

ऐसी ज़ईफ़ रिवायत से किसी अमल का सुन्नत होना साबित नहीं होता।

दर्रे मुख़्तार में है कि ज़ईफ़ हदीस पर अमल करने की शर्त यह है कि उसका ज़ोफ़ शदीद न हो और वह असले आमके तहत हो और यह कि उसकी सुन्नियत (सुन्नत होने) पर एतक़ाद न रखा जाए।

—दुर्रे मुख़्तार मय शामी, भाग 1, पृ० 87, नोमानिया एडीशन

अल्लामा शामी ने हाशिए में ज़ोफ़ के शदीद होने की दो मिसालें दीं कि जिसका कोई तरीक़ा कज़्ज़ाब या मुहतम्म बिल किज़्ब (जिस पर झूठ का आरोप हो) से ख़ाली न हो और सुयूती से यह नक़ल किया कि उस पर अमल के वक़्त उसके सबूत का एतक़ाद न रखे।

—वही

और यह हदीस अशद्द (बहुत ज़्यादा) ज़ईफ़ है और इसका कोई और तरीक़ा भी मालूम नहीं, इसलिए यह रोज़ा नफ़्ल की नीयत से रख सकते हैं, सुन्नत या साबित समझ कर नहीं, वरना आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ ऐसे अमल की निस्बत होगी जो आपसे साबित नहीं और यह बहुत ख़तरनाक बात है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, 'जब तक तुमको मालूम न हो, मेरी तरफ़ से हदीस बयान न करो। जिसने मुझ पर जान-बूझ कर झूठ बांधा, वह अपना ठिकाना जहन्नम बनाए।

—मिश्कात पृ० 35

बैहक़ी ने शोबुल ईमान में एक रिवायत ज़िक्र की है, जिसमें चौदह रक्अत की एक नमाज़ का ज़िक्र हुआ है। इसके बाद 14-14 बार सूरः फ़ातिहा, इख़्लास

मुअव्वज़तैन, आयतुल कुर्सी वग़ैरह का पढ़ना और फिर सुबह को रोज़ा रखना और उस रोज़े का सवाब दो साल के रोज़ों के बराबर होता है। बैहक़ी ने इसको ज़िक्र करके इमाम अहमद का क़ौल ज़िक्र किया कि यह हदीस मौज़ू मालूम होती है और यह मुन्कर है। इसमें उस्मान बिन सईद जैसे लोग मज्हूल हैं, (जिनका कुछ पता नहीं) —शोबुल ईमान : बैहक़ी, भाग 3, पृ० 387'

आलूसी ने भी बैहक़ी का यह कलाम ज़िक्र किया है।

—रूह, भाग 25, पृ० 111

शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रह० ने भी इस हदीस को नक़ल करके ज़िक्र किए गए कलाम को नक़ल किया और लिखा कि जोज़क़ानी ने इसको 'अबातील' में नक़ल किया और इब्नुल जौज़ी ने मौज़ूआत में और कहा कि मौज़ूअ है और इसकी सनद तारीक है।

—मा सबि-त बिस्सुन्नः, पृ० 213, तोहफ़ा, भाग 2, पृ० 54

शाबान के रोज़े साबित और सुन्नत हैं

हां, माह शाबान में रोज़े रखना किसी दिन को ख़ास किए बग़ैर आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है। आप शाबान में रोज़े ज़्यादा से ज़्यादा रखते थे।

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि मैंने नहीं देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान के सिवा किसी महीने में पूरे महीने का रोज़ा रखा और शाबान से ज़्यादा किसी महीने में आपको रोज़ा रखते नहीं देखा।

—बुख़ारी, भाग 1, पृ० 264

कुछ रिवायतों में यह भी है कि पूरे शाबान का रोज़ा रखते थे, लेकिन इसका मतलब मशहूर मुहद्दिस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० ने यह बयान किया है कि महीने के अक्सर हिस्से में रोज़ा रखते थे। अरब के लोग अक्सर महीने में रोज़ा रखते तो कह देते कि पूरे महीने रोज़ा रखा। —तिर्मिज़ी, पृ० 155

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी फ़रमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान के सिवा किसी महीने के पूरे रोज़े नहीं रखे, इसलिए शाबान में कसरत से रोज़ा रखना बेशक आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी होगी, अलबत्ता अगर ज़ोफ़ का ख़तरा हो तो आधे शाबान के बाद रोज़े न रखे

1. यह किताब मैंने (लेखक) ने मदीना मुनव्वरा में देखी और यह हदीस वहीं से नक़ल की है।

जाएं।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जब आधा शाबान रह जाए, तो रोज़ा मत रखो।

—तिर्मिज़ी, 155

इमाम तहावी रह० ने इस नह्य (मना करने) को शफ़क़त की नह्य क़रारदिया है और लिखा है कि जिसको ज़ोफ़ हो जाता है, उसको हम यही कहेंगे, आधे शाबान के बाद रोज़े न रखे, ताकि रमज़ान के रोज़े जो फ़र्ज़ हैं, उनको अच्छी तरह रख सके। —शरह मआनिल आसार, भाग 1, पृ० 289

इसी तरह रमज़ान के ख़्याल से उससे एक दो दिन पहले भी रोज़ा न रखे। आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इससे भी मना फ़रमाया है। हां, किसी को महीने के आख़िर में रोज़ा रखने की आदत हो या हफ़्ते के ख़ास दिनों में और वह शाबान के आख़िर में आ गए, तो शाबान के आख़िर में रख सकता है, इसलिए कि यह रोज़ा रमज़ान की ताज़ीम की वजह से नहीं है।

—बुख़ारी शरीफ़, भाग 1, पृ० 256

इसी तरह शक के दिन में भी आम लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि दोपहर के क़रीब तक इंतिज़ार करना चाहिए, चांद की ख़बर न आए तो खाना-पीना चाहिए, हां , ख़ास लोग जैसे उलेमा और मुफ़्तियाने किराम नफ़्ल की नीयत से रोज़ा रख सकते हैं। —दुर्रे मुख़्तार मय शामी, भाग 2, पृ० 89 नोमानिया

नोट— शक का दिन तीसवें शाबान को कहते हैं, जबकि इससे पहली रात में बदली बग़ैरह की वजह से रमज़ान का चांद नज़र न आया हो।

शबे बरात और क़ुरआन करीम

क्या क़ुरआन करीम में शबे बरात का ज़िक्र है? सही क़ौल के मुताबिक़ इसका जवाब नहीं में है, यानी शबे बरात का ज़िक्र क़ुरआन करीम में नहीं।

सूरः दुख़ान में ख़ुदा का इर्शाद है—

'हमने इस किताब को मुबारक रात में नाज़िल किया। बेशक हम डरने वाले हैं। इस रात में हर हिक्मत वाला मामला हमारी तरफ़ से फ़ैसला करके सादिर किया जाता है।' आयत 3 : 5

इसमें मुबारक रात से मुराद शबे क़द्र है जो रमज़ान के आख़िरी अश्रे में होती है। इसको मुबारक इसलिए फ़रमाया गया कि इसमें अल्लाह तआला की तरफ़ से अपने बन्दों पर बे-पनाह ख़ैर और बरकतें नाज़िल होती हैं और क़ुरआन

करीम का शबे क़द्र में नाज़िल होना सूरः क़द्र में साफ़-साफ़ बयान किया गया है।

इसी तरह यह बात भी क़ुरआन में साफ़ ज़िक्र की गई है कि रमज़ान के महीने में क़ुरआन लौहे महफ़ूज़ से क़रीबी आसमान पर नाज़िल हुआ।

—सूरः बकरः, रूकूअ 23, आयत 185

इसलिए दुख़ान की आयत का मतलब यह है कि शबे क़द्र में साल भर की मौत और रिज़्क़ की तफ़्सील लौहे महफ़ूज़ से नक़ल करके फ़रिश्तों को दे दी जाती है।

—इब्ने कसीर

यही बात जम्हूर तफ़्सीर लिखने वालों से रिवायत की गई है, जिनमें इब्ने अब्बास, क़तादा, मुजाहिद, हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहिम वग़ैरह शामिल हैं, यही क़ौल जैसा कि इमाम नववी ने फ़रमाया है सहीह है, इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं, जिसने इस रात से मुराद शबे बरात को लिया है जैसा कि इक्रिमा से रिवायत है वह मक़सूद से दूर चला गया। क़ुरआन तो यह कहता है कि रमज़ान में नाज़िल हुआ।

(इब्ने कसीर सूरः दुखान व मआरिफ़ु स्सुनन भाग 5, पृ० 420, मौलाना युसूफ़ बिन्नौरी रह० व मआरिफ़ुल क़ुरआन मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी देवबन्दी, भाग 7, पृ० 757 व शबे बरात मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि, पृ० 7)

इब्ने कसीर यह भी लिखते हैं कि उस्मान बिन मुहम्मद से जो रिवायत किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, (शाबान से शाबान तक उम्रों के फ़ैसले कर दिए जाते हैं। आदमी शादी करता है और उससे बच्चा होता है, लेकिन उसका नाम मुर्दों की फ़ेहरिस्त मे दर्ज कर दिया जाता है) यह रिवायत मुर्सल है, इसको नुसूस के मुक़ाबले में नहीं पेश कर सकते।

क़ाज़ी अबूबक्र फ़रमाते हैं कि आधे शाबान की रात के बारे में कोई भरोसे की रिवायत नहीं, जिससे साबित हो कि रोज़ी और मौत के फ़ैसले उस रात में होते हैं, बल्कि उन्होंने यह भी फ़रमाया कि इस रात की फ़ज़ीलत में कोई भरोसे की हदीस नहीं आई। —मआरिफ़ुल क़ुरआन, भाग 7, पृ० 159

शबे बरात की फ़ज़ीलत, चूंकि कई कमज़ोर रिवायतों में आई है और उससे टकराने वाली कोई आयत या हदीस नहीं, इसलिए उसकी फ़ज़ीलत तो मानी जाएगी। लेकिन शबे बरात में रोज़ी और मौत के फ़ैसले की बात क़ुरआन से टकराने वाली है, इसलिए यह मक़बूल नहीं होगी। इसी लिए

तहक़ीक़ करने वाले बराबर इसको रद्द करते रहे हैं। इस मसले में वाज़ कहने वालों की बात का एतबार न होगा, बल्कि तफ़्सीर लिखने वालों और हदीस के माहिरों का एतबार होगा।

इब्ने अब्बास रज़ि० से एक रिवायत ज़िक्र की जाती है कि रोज़ी और मौत व ज़िंदगी वग़ैरह के फ़ैसले शबे बरात में लिखे जाते हैं और शबे क़द्र में फ़रिश्तों के हवाले किए जाते हैं। (रूहुल मआनी, भाग 25, पृ० 113)

लेकिन इस रिवायत की सनद मालूम नहीं, इसलिए इसका कोई एतबार नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब (अल्लाह ही बेहतर जानता है।)

मिश्कात में एक रिवायत हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बैहक़ी की अददावातुल कबीर के हवाले से ज़िक्र की गई है, उसमें शबे बरात में पैदा होने वालों और मरने वालों के लिखे जाने और आमाल पेश होने और रोज़ी उतरने का मज़्मून ज़िक्र किया गया है, मगर इस हदीस का हाल मालूम नहीं। हदीस के माहिरों और तफ़्सीर लिखने वालों के यहां इसका एतबार नहीं। वल्लाहु आलम

शबे बरात की मुन्कर बातें और बिदअ़तें

इस मौक़े पर उम्मत में बहुत से बे-बुनियाद एतक़ाद और काम रिवाज पा गए हैं, जो नाजायज़ और बिदअत हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं—

1. आग से खेलना और रोशनी ज़्यादा करना। शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि 'मा सबि-त बिस्सुन्नः' में लिखते हैं—

'एक बुरी बिदअत जो हिन्दुस्तान के ज़्यादातर शहरों में रिवाज पा गई है, यह है कि लोग चिराग़ रोशन करते हैं और घरों की दीवारों पर रखते हैं और उस पर फ़ख़्र करते हैं, साथ ही जमा हो कर आग़ के साथ खेल-तमाशा करते हैं, पटाख़े फोड़ते हैं, यह ऐसी बात है, जिसका ज़िक्र किसी भी भरोसे की किताब में नहीं है। इसके बारे में कोई हदीस कमज़ोर और गढ़ी हुई भी नहीं है और हिन्दुस्तान के सिवा कहीं इसका रिवाज नहीं, न मदीना मुनव्वरा में और न मक्का मुअज़्ज़मा में, न अ़जम के दूसरे शहरों में।

शायद यह बिदअ़त हिन्दुओं के त्यौहार दीवाली से हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने ली है, इसलिए कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों में हिन्दुओं के साथ रहने की वजह से बहुत सी बिदअ़तें आ गई हैं। (मा सबि-त बिस्सुन्नः, पृ० 215)

हदीस में आया है कि जो किसी क़ौम से मुशाबहत करे, वह उन्हीं में से है।

—अबू दाऊद, पृ० 559

इसलिए मुसलमानों को इससे बिल्कुल बचना चाहिए, इसमें एक पैसा भी ख़र्च करना बिल्कुल हराम है। बच्चों के हाथ में इसके लिए जो पैसा दिया जाएगा, उसका सख़्त गुनाह होगा। शाह साहब आगे लिखते हैं, कुछ उलेमा ने कहा कि ख़ास रातों में ज़्यादा रोशनी करना बहुत बुरी बिदअ़त है। शरीअ़त में इसके मुस्तहब होने की कोई दलील नहीं। अली बिन इब्राहीम ने फ़रमाया, यह बिदअ़त बरामका ने ईजाद की। ये लोग मजूसी थे, आग की इबादत करते थे, जब मुसलमान हुए तो इस तरह की बातें इस्लाम में दाख़िल कीं, गोया ये सुन्नत हैं। उनका मक़्सद यह था कि मुसलमानों के साथ सज्दा करते वक़्त आग की इबादत करें, फिर मस्जिद के इमामों ने इस रस्म को 'सलातुर्रग़ाइब' वग़ैरह के साथ शामिल करके आम लोगों की भीड़ जमा करने और अपनी सरदारी और बड़ाई ज़ाहिर करने का ज़रिया बना दिया। आठवीं सदी के हिज़री के शुरू में अइम्मा हुदा (हिदायत वाले इमामों) ने इस तरह के मुन्करों के ख़त्म करने की कोशिश की और मिस्र व शाम से ये मुन्कर ख़त्म हो गए।—मासबि-त बिस्सुन्नः, पृ० 216

ग़ौर करने की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घर में तो शबे बरात में भी चिराग़ नहीं था जैसा कि पिछली रिवायतों से ज़ाहिर है और आप के उम्मती और आपकी मुहब्बत का दम भरने वाले चिराग़ ज़्यादा करने में सवाब समझें, किस क़दर अफ़सोस की बात है।

2. हलवे की रस्म—कुछ लोग हलवा पकाना ज़रूरी समझते हैं। उसके बग़ैर उनकी शबेबरात ही नहीं होती, यह बिल्कुल बे-असल और ग़लत रस्म है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जब मुबारक दांत शहीद हुआ तो हलवा खाया। कोई कहता है कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उस दिन शहीद हुए थे। यह उनकी फ़ातिहा है। यह बिल्कुल ग़लत और गढ़ा हुआ क़िस्सा है। इसका एतक़ाद रखना बिल्कुल जायज़ नहीं, बल्कि अक़्ली तौर पर भी मुम्किल नहीं, इसलिए कि उहुद का वाक़िया शव्वाल में पेश आया, न कि शाबान में।

3. कुछ लोग कहते हैं कि शबेबरात में मुर्दों की रूहें घरों में आती हैं और देखती हैं कि हमारे लिए कुछ पका है या नहीं। यह बिल्कुल बे-असल है, इसका कोई सबूत नहीं।

कुछ लोग यह समझते हैं कि शबे बरात से पहले कोई मरता है तो जब तक शबे बरात में उसकी फ़ातिहा न हो, वह मुर्दों में शामिल नहीं होता। यह भी बेकार

और सही हदीसों के ख़िलाफ़ है।

4. कुछ लोग इस मौक़े पर बर्तनों का बदलना, घर को रंग व रोग़न करना सवाब का काम समझते हैं। इस तरह बहुत-सा खाना ग़रीबों के यहां पहुंचकर ज़ाया होता है। उस रात में उस ख़ास अमल का कोई ज़िक्र नहीं। बग़ैर एहतमाम के कोई भी इबादत की जा सकती है, लेकिन किसी ख़ास इबादत का इलतिज़ाम सही नहीं, इसलिए उस दिन इस रिवाज को भी तर्क करना चाहिए और सदक़ा व ख़ैरात के लिए इस रात की, कोई ख़ुसूसियत नहीं समझनी चाहिए।

—फ़तावा इमदादिया, भाग 4, पृ० 27 पर मुफ़्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब का फ़त्वा

एक तंबीह

कुछ लोग बयानों में यह हदीस भी नक़ल करते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा और रमज़ान मेरी उम्मत का, मालूम होना चाहिए कि यह हदीस मौज़ूअ़ है।

—अख़बारे मौज़ूआ मुल्ला अली क़ारी, पृ० 329

اللّٰهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقِه محمد واٰله وصحبه وامته اجمعين
والحمد لِلّٰهِ اولاً وَآخِراً۔

अल्लाहुम-म अरिनल हक़्क़-क़ हक़्क़ंव-वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बाति-ल बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबहू व सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिं-व आलिही व सह्बिही व उम्मतिही अजमईन वल हम्दु लिल्लाहि अव्वलन व आख़िरन०

फ़ज़लुर्रहमान आज़मी
26, जुमादुस्सानी 1413 हि०
मुताबिक़ 21 दिसम्बर, 1992 ई०

पन्द्रहवीं शाबान के रोज़े के बारे में

मेरे मौक़फ़ की कहानी

—फ़ज़्लुर्रहमान आज़मी (आज़ादोल)

इस रोज़े को मैं भी बचपन से सुन्नत समझता था। अगरचे हिन्दुस्तान में कभी 'अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब' के कुछ नुस्ख़ों (प्रतियों) में इब्नेमाजा की हदीस के बारे में हाशिए में यह पढ़ा था— 'मुत्तफ़क़ अला ज़ोफ़िही व क़ी-ल मौज़ूअ' (इसके कमज़ोर होने पर मुत्तफ़िक़ (यानी एकमत) और कहा जाता है कि यह 'मौज़ूअ(गढ़ी हुई) है।

मगर इस तरफ़ ज़ेहन नहीं गया कि फिर यह रोज़ा सुन्नत क्यों होगा? अफ़्रीक़ा आकर इस मसले की तहक़ीक़ का इत्तिफ़ाक़ हुआ। 'अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब' के मुक़दमे में हाफ़िज़ मुंज़री ने यह लिखा है कि किसी हदीस को अगर मैं 'रुवि-य' से शुरू करूं और उसके आख़िर में कोई तब्सरा भी न करूं, तो इसका मतलब यह है कि यह हदीस ज़ईफ़ है या बहुत ज़ईफ़ या मुंकर है।

यह हदीस इत्तिफ़ाक़ से ऐसी ही है। फिर 'अल-अजूबतुल फ़ाज़िला' के लेखक मौलाना अब्दुल हई लखनवी और 'तद्रीबुर्रावी' वग़ैरह में भी यह पढ़ा कि ज़ईफ़ हदीस पर अमल के लिए यह शर्त है कि उसका ज़ोफ़ (कमज़ोर होना) शदीद न हो और उसके सबूत का अक़ीदा न रखा जाए, यही बात 'दुर्रे मुख़्तार' और शामी में भी पढ़ी तो ख़्याल हुआ कि देखा जाए कि यह हदीस क्यों ज़ईफ़ है?

तहक़ीक़ के बाद मालूम हुआ कि इसमें एक रावी इब्ने अबी सबुरा है। इस पर सख़्त जिरहें है, यहां तक कि हदीस गढ़ने का भी इलज़ाम है और ज़हबी ने 'मीज़ानुल एतदाल' में इसकी यही हदीस ज़िक्र की है और इमाम ज़हबी की यह आदत है कि ज़ईफ़ रावी की मुन्कर हदीस उसके तज़्करे में ज़िक्र करते हैं।

फिर उसकी तलाश हुई कि इस हदीस का कोई मुताबे या गवाह भी है कि नहीं? तलाश के बाद भी कुछ न मिल सका, तो एक शागिर्द से एक फ़तवा मुरत्तब फ़रमाया और हिन्द व पाक के बहुत से 'दारुल इफ़्ताओं' में भिजवाया, उसमें ऊपर ज़िक्र की गई बातें हवाले के साथ लिखवाईं और पूछा गया कि अगर

कोई ताईद हासिल नहीं तो उस रोज़े को सुन्नत क्यों मानें? कहीं से कोई इत्मीनान के क़ाबिल जवाब न मिला, सिर्फ़ मदरसा अमीनिया, दिल्ली से जवाब मिला। इसमें उसी हदीस को अलग-अलग किताबों से नक़ल कर दिया।

हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहब रह० ने शबे बरात से मुताल्लिक़ अपनी एक किताब में इस रोज़े को सुन्नत लिखा है। इसी तरह कुछ और हिन्दुस्तानी बुज़ुर्गों के कलाम में इसका सुन्नत होना पढ़ा, लोगों में मशहूर भी बहुत है, तो कुछ शागिर्दों ने मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी मद्दज़िल्लहू को ख़त लिखा और यह मसला पूछा तो उन्होंने 'अल-बलाग़' में इसको मुस्तहब लिखा और वजह यह बताई कि बुज़ुर्गों के मुसलसल करते रहने से इसकी ताईद होती है और सुन्नत से मुस्तहब पर आ गए ।

फिर पूछा गया कि बुज़ुर्गों से मुराद सहाबा और ताबईन हैं या हिन्दुस्तान के माज़ी क़रीब के बज़ुर्गाने दीन? ख़ुद भी तलाश करता रहा। फ़िक़्ह की किताबों में भी तलाश किया, लेकिन कहीं इस रोज़े का ज़िक्र नहीं मिला, तो यह समझ में आया कि हिन्दुस्तान में मिश्कात शरीफ़ पढ़ाने का आम रिवाज है। उसमें यह हदीस इब्ने माजा के हवाले से ज़िक्र की गई है, इसी वजह से हिन्दुस्तानी उलेमा इसको सुन्नत समझते हैं और अगर यह हदीस मोतबर होती तो यह समझना सही भी था।

मिश्कात के सबक़ में आमतौर पर हदीस की हैसियत पर बहस नहीं होती, सिर्फ़ कुछ हुक्मों की हदीसों पर होती है, वह भी अख़्लाक़ी मसलों में। हर हदीस की न सनद मालूम की जाती है, न उसके रावियों से बहस होती है, यहां तक कि मिरक़ात और अत्तालीक़ुस्सहीह वग़ैरह में भी यह तफ़्सील नहीं है। मिश्कात शरीफ़ से मक़्सूद हदीस के मतन को हल करना होता है, ताकि दौरा-हदीस में आसानी हो, इसलिए इस हदीस को देखने में तो में मोतबर समझ कर इसको सुन्नत समझ लिया गया। सहाबा और ताबिईन में ज़ाहिर में इस रोज़े का रिवाज नहीं था।

फ़िक़्ह की किताबों में न होने से यह मालूम होता है कि उनके यहां भी इसका सुन्नत होना मारूफ़ न था। अल्लामा इब्ने तैमिया का क़ौल कुछ किताबों में देखा कि उस रोज़े की कोई असल नहीं है—

—इक़्तिज़ाउस्सि रातिल मुस्तक़ीम, लेख : इब्ने तैमिया, पृ० 302

कुछ मुद्दत के बाद जब 1417 हि० के अल-बलाग़ उर्दू में मुफ़्ती मुहम्मद उस्मानी ने यह लिखा कि हदीस के पूरे ज़ख़ीरे में सिर्फ़ यही एक हदीस है और

यह हदीस ज़ईफ़ है, इसलिए ख़ास इस रोज़े को सुन्नत या मुस्तहब कहना कुछ उलेमा के नज़दीक़ सही नहीं है। (वही, पृ० 43)

कुछ उलेमा से कौन मुराद हैं, मालूम नहीं हुआ, लेकिन मौलाना ने इसको काफ़ी समझा। इससे मालूम होता है कि अब मौलाना की यही राय है, इसके बावजूद कि उनके वालिद साहब सुन्नत लिख गए हैं, लेकिन हक़ीक़त पसन्द संजीदा उलेमा ऐसे ही होते हैं, उनमें शख़्सियत परस्ती नहीं होती। मैं समझता हूँ कि अगर हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहब रज़ि० के सामने तफ़सीलें आतीं, तो वे भी अपनी राय से रूजू फ़रमा लेते। उलेमा हक़ हमेशा हक़ ज़ाहिर होने के बाद हक़ का साथ देते हैं, ज़िद नहीं पकड़ते। मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी की तहक़ीक़ उनके ख़ुलूस व लिल्लाहियत का पता देती है।

उन्हीं के इदारे से एक किताब शया हुई है। इसमें इस रोज़े को साबित करने की कोशिश की गई है और इब्ने अबी सबुरा पर जो सख़्त जिरहें हैं उनको ग़ैर-वाज़ेह साबित करने की नाकाम कोशिश की है। हमने से इसका जवाब लिख दिया है। मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी साहब ने भी इसको तवज्जोह के क़ाबिल नहीं समझा, इसलिए हदीस का ज़ोफ़ लिख दिया।

हमारे उस्ताद अल्लामा कबीर मुहद्दिस जलील की भी एक तहरीर शाया हुई है, उन्होंने ने भी इस हदीस को ज़ईफ़ लिखा है।

—अल-मआसिर शव्वाल-ज़िलाहिज्जा 1415 हि०, पृ० 70

हक़ीक़त यह है कि यह हदीस सिर्फ़ ज़ईफ़ नहीं, शदीद ज़ईफ़ है और दोनों में फ़र्क़ है, जैसा कि उसूले हदीस की किताबों और दुर्रे मुख़्तार से ज़ाहिर है। कुछ लोग कह देते है कि ज़ईफ़ हदीस पर अमल जायज़ है।

मुझको भी एक मौलवी साहब इंग्लैंड में ऐसे मिले। एक मस्जिद में, मैं लोगों को मुफ़्ती तक़ी उस्मानी मद्द ज़िल्लहू का मज़्मून अल-बलाग़ से सुनाने लगा तो उन मौलवी साहब ने फ़रमाया, मुद्दत से हमारे यहां इस पर अमल होता है, यह मज़्मून मत सुनाइए। मैंने कहा, मैं तो सुनाऊंगा मुफ़्ती साहब हमारे तबक़े के एतबार के क़ाबिल मुहक़्क़िक़ आलिम और मुफ़्ती हैं। अल्लाह वालों से हमेशा उनका ताल्लुक़ रहा है, क्यों आप मुझे रोकते हैं?

उन्होंने कहा, ज़ईफ़ पर अमल हो सकता है मैंने कहा, बेशक हो सकता है, कौन अमल से रोकता है? रोज़ा अच्छा अमल है, रोज़ा रखिए। सवाल सिर्फ़ यह है कि सुन्नत समझें या न समझें? मैंने ख़ुद लिखा है कि नफ़्ल की नीयत रख

सकते हैं; मुफ़्ती साहब भी यह लिखते हैं कि सुन्नत न समझें, रोज़ा रखने से मना नहीं करते।

मैंने कहा, आपको न सुनना हो तो चले जाइए। मत सुनिए मैं तो सुनाऊंगा। चुनांचे मैंने सुनाया, लोगों ने सुना, वह मौलवी साहब उठ कर चले गए।

मुझको मेरे दो शार्गिदों ने बताया कि हमने हिन्दुस्तान में हज़रत मौलाना यूनुस साहब जौनपुरी मुद्दज़िल्लहू शेखुल हदीस मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर और जानशीं हज़रत मौलाना ज़करिया मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि से इस रोज़े के बारे में पूछा, तो उन्होंने भी फ़रमाया कि यह मेरे नज़दीक सुन्नत नहीं है।

अलहम्दुलिल्लाह! मुझे इन बड़े उलेमा की ताईद से दिन ब दिन इन्शिराहे सद्र होता जा रहा है (यानी दिल मुतमइन हो रहा है) इख़्तिलाफ़ से डरने वाले, डरें, मैं तो नहीं डरता। हमारे बड़ों ने कितनी ऐसी चीज़ों को रद्द किया है जो लोगों में मशहूर हैं और अब तक जारी हैं और इबादत में से हैं, नमाज़ें भी हैं, रोज़े भी हैं, दुआएं भी हैं, अज़्क़ार भी हैं, लेकिन हदीस से सबूत नहीं। इसलिए लिख दिया कि इसकी कोई असल नहीं।

मतलब यही है कि इसको शरीअत और सुन्नत न समझें। हां, कोई नेक अमल आदमी अपनी तरफ़ से करना चाहे और ततव्वोअ़ (नफ़्ल) समझे तो कर सकता है, लेकिन सुन्नत का कहना ख़तरनाक है, इसमें एहतियात ज़रूरी है। जो बात या काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित नहीं, उसको आपकी तरफ़ मंसूब करना (और सुन्नत कहने का यही मतलब होता है) दीन में इज़ाफ़ा करना है और ऐसा करने वाले पर 'मन कज़ि-ब अलै-य मुतअम्मदन फ़ल-य-त बव्वा मक़अदुहू मिनन्नारि' के सादिक़ आने का ख़तरा है। अल-अयाज़ुबिल्लाहि

हदीस के माहिरों ने दीन में इज़ाफ़ा और तहरीफ़ से बचने के लिए ही रिजाल पर कलाम किया है और फ़रमाया है कि क्या क़ियामत के दिन हम आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हरीफ़ बनें? नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक।

हमने अपनी किताब में जो एलान किया है कि पन्द्रहवीं शाबान के रोज़े का सुन्नत होना साबित नहीं, वह इसी जज़्बे से किया है और हम इस पर क़ायम हैं।

أحِبّ الصالحين ولستُ مِنهم؛ لعل الله يرزقنى صلاحا

وما ذلك على الله بعزيز۔ ربِّ توفّنى مُسلماً والحِقنى بالصّالحِين آخِر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين۔

جمعہ یکم ذی الحجہ ۱۴۱۹ھ مطابق ۱۹/مارچ ۱۹۹۹ء

पन्द्रह शाबान का रोज़ा

(अल-बलाग़ जुमादस्सानी, रजब 1417 हि०)

एक़ मसला शबेबरात के बाद वाले दिन यानी पन्द्रह शाबान के रोज़े का है। इसको भी समझ लेना चाहिए, वह यह कि हदीस के सारे ज़ख़ीरे में इस रोज़े के बारे में सिर्फ़ एक रिवायत में है कि शबेबरात के बाद वाले दिन रोज़ा रखो, लेकिन यह रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए इस रिवायत की वजह से ख़ास इस पन्द्रह शाबान के रोज़े को सुन्नत या मुस्तहब क़रार देना, कुछ उलेमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं। अलबत्ता पूरे शाबान के महीने में रोज़ा रखने की फ़ज़ीलत साबित है।

अबूबक्र बिन अबी सबुरा पर तफ़्सीली कलाम

इब्ने माजा की रिवायत में यह रिवायत करने वाला मुत्तफ़क़ अलैहि ज़ईफ़ है। इस पर बड़ी सख़्त-सख़्त जिरहें हैं। ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल, भाग 4, पृ० 503 में, इब्ने हजर ने तहज़ीबुत्त हज़ीब, भाग 12, पृ० 27 में, साथ ही तक़रीबुत्तह-ज़ीब, पृ० 395 में इसके ज़ोफ़ को बयान किया। इमाम अहमद की किताबुल इलल व मारफ़तुर्रिजाल में भाग 1, पृ० 204 पर इसका ज़िक्र है। दारेक़ुत्नी ने अपनी किताब 'अज़-ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन' में इसको ज़िक्र किया है (पृ० 184) इब्ने हब्बान ने किताबुल मजरूहीन में इसका ज़िक्र किया है। (भाग 3, पृ० 147) इसी तरह रिजाल की और किताबों में भी इस पर की गई जिरहों का ज़िक्र है।

तहज़ी बुत्तहज़ीब का खुलासा हम दर्ज करते हैं, वाक़दी ने कहा है कि इसके साथ बहुत-सी हदीसें थीं, मगर यह हुज्जत नहीं। इमाम अहमद ने फ़रमाया, कुछ नहीं है। हदीसें वज़ा करता था और झूठ बोलता था।

यह्य बिन मुईन ने कहा, इसकी हदीस कुछ नहीं है, क्यों कहा, ज़ईफ़ हैं। इब्नुल मदयनी ने कहा, हदीस में ज़ोफ़ बताया है। बुख़ारी ने कहा, ज़ईफ़ है और कभी कहा, मुन्करुल हदीस है।

जौजज़ानी ने कहा, इसकी हदीस में ज़ोफ़ है। बुख़ारी ने कहा, ज़ईफ़ है और कभी कहा मुन्करुल हदीस है। इमाम नसई ने कहा, मुन्करुल हदीस है। इब्ने अदी ने कहा, इसकी आम रिवायतें ग़ैर-महफ़ूज़ हैं और वह हदीस गढ़ने वालों में से है। इब्ने हब्बान ने कहा मौज़ूआत सिक़ा रावियों से ज़िक्र करता है, उससे एहतिजाज सही नहीं। हाकिम ने भी कहा, सिक़ा लोगों से मौज़ूआत रिवायत करता है।

—तहज़ीब, भाग 12, पृ० 27-28

इन जिरहों में 'यज़उल हदीस' और ''यक्ज़िबु' ऐसी खुली जिरहें हैं कि इनके बाद रावी से न इस्तिदलाल है, न हास्तिश्हाद, न एतबार, यही हाल मतरूकुल हदीस का भी है।—अर्रफ़उ वत्तक्मील, पृ० 152-153, तालीक़ अब्दुल फ़त्ताह अबू ग़दा और बुख़ारी की जिरह मुन्करुल हदीस भी ऐसी ही जिरह है।

—वही, पृ० 208

जो इन जिरहों को मुबहम कहता है, वह अपने इल्म को इल्म वालों के सामने रूसवा करता है। हदीस का गढ़ना और झूठ यह सबसे सख़्त क़िस्म की जिरह है और इसमें तान की वजह ज़िक्र की गई है और लुत्फ़ यह है कि इब्ने अबी सबुरा की किसी ने भी तौसीक़ नहीं की। हां, बेशक उनके बारे में यह लिखा है कि वह मुफ़्ती और क़ाज़ी भी थे, लेकिन यह ख़ास बात नहीं है। कितने क़ाज़ी और मुफ़्ती हैं जैसे इब्ने लहीआ और मुहम्मद बिन अबी लैला वग़ैरह, जिन्हें **मुहद्दिसीन** ज़ईफ़ कहते हैं। दारे क़ुत्नी, इब्ने हब्बान, हाकिम को मालूम है कि यह क़ाज़ी थे, लेकिन फिर भी ज़ोफ़ पैदा कर रहे हैं। यह तौसीक़ भी हो तो तफ़्सीर करने वाले की जिरह के बाद यह तौसीक़ क्या काम देगी। ताज्जुब होता है अगर हदीस का गढ़ना और झूठ, मुफ़स्सिर (तफ़सीर करने वाले) की जिरह नहीं, तो दुनिया में कौन-सी जिरह मुफ़स्सिर है। वल्लाहु यक़ूलुलहक़्क़ वहु-व यह्दिस्सबील (अल्लाह हक़ कहता है और वही रास्ता दिखाता है।) ज़हबी ने भी इनमें से कई जिरहों का ज़िक्र किया है। इनमें वह हदीसे इब्ने माजा भी है जिसमें रोज़े का ज़िक्र है। ऐसी हदीस से सुन्नियत का साबित करना किस तरह मुम्किन है?

الشروط للعمل على الحديث الضعيف كما في تدريب الراوي

तंबीह

لم يذكر ابن الصلاح والمصنف هنا وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط وهو كونه في الفضائل ونحوها وذكر شيخ الاسلام له ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون الضعيف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه نقل العلائي الاتفاق عليه

الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط

(تدريب الراوي ج ١ ص ٢٩٨/٢٩٩)

मुसन्निफ़ (लेखक) के मुख़्तसर हालात

पैदाइश और तालीम

पैदाइश 1366 हि० को मऊ में हुई। शुरू से आख़िर तक तालीम मऊ ही में हुई और 1386 हि० में मिफ़्ताहुल उलूम मऊ से फ़राग़त हासिल की। फ़ारिग़ होने के बाद मुख़्तलिफ़ किताबें पढ़ीं, किराते सबआ भी। मुहद्दिसे कबीर मौलाना हबीबुर्रहमान आज़मी की ख़िदमत में रह कर फ़तावा की किताबों को पढ़ा और इफ़्ता की मश्क़ की। मशहूर उस्तादों में मुहद्दिस आज़मी रह० मौलाना अब्दुल लतीफ़ नोमानी रह० और मौलाना अब्दुर्रशीद रह० वग़ैरह हैं।

पढ़ने-पढ़ाने की ख़िदमतें

तीन चार साल के बाद मज़्हरुल उलूम बनारस में पढ़ाना शुरू किया, मुख़्तलिफ़ किताबें पढ़ाईं, जिनमें मिश्कात व तिर्मिज़ी भी हैं। वहां फ़तावा नवेसी की ख़िदमत भी अंजाम दी। चार साल वहां क़ियाम रहा।

फिर 1394 हि० में जामिया डाभील तशरीफ़ लाए और वहां अक्सर दरसी किताबें ही पढ़ाईं, आख़िर में मिश्कात, जलालैन, तहावी, इब्ने माजा, नसई वग़ैरह भी पढ़ाई। वहां जामिया इस्लामिया डाभील की तारीख़ भी मुरत्तब फ़रमाई जो छप चुकी है। सन् 1403 हि० में सबआ अशरा भी पढ़ाई और मुक़दमा इल्मे क़िरात भी मुरत्तब फ़रमाया, जिसमें क़ुर्रा अशरा और उनके रावियों का तज़्करा भी है।

सन् 1406 हि० में मदरसा इस्लामिया आज़ादोल, साउथ अफ़्रीक़ा तशरीफ़ लाए। 1408 हि० में शेख़ुल हदीस मुक़र्रर हुए और अल्लाह के फ़ज़्ल से किताबें बुख़ारी, तिर्मिज़ी और तहावी पढ़ने-पढ़ाने में रहती हैं।

कई किताबें और रिसाले भी आपने लिखे जो अब छप रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि तब्लीग़ी ख़िदमतों मे भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अलग-अलग शहरों और जगहों के सफ़र भी होते रहते है जैसे इंग्लैंड, हालैंड, फ्रांस, स्तंबोल, मारीशस, रियूनियन और अफ़्रीका के दूसरे देश, हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत से भी बार-बार मुशर्रफ़ हो रहे हैं। हज़रत मौलाना हकीम मुहम्मद अख़्तर साहब मद्द ज़िल्लहू (ख़लीफ़ा हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ साहब हरदोई मद्द ज़िल्लहू) के ख़लीफ़ा भी हैं। अल्लाह के फ़ज़्ल से दीन के अक्सर शोबों में मेहनत फ़रमाई है। अल्लाह तआला इल्म व अमल और उम्र व सेहत में बरकत अता फ़रमाए। (आमीन) —अतीक़ुर्रहमान अल-आज़मी